

प्रक्रिया-6/317-16/2003 1617  
शास्त्ररण्ड-सरकार  
मानव संसाधन विभाग विभाग  
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

୪୫

तेवा ५

ବିଷୟ

महाराष्ट्र

संग्रह

सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली ।

रांची, दिनांक - १२.८.०४

झारखंड राज्य के उन्नतीसवाँ संघालित निजी विधालयों प्रको सी०षी०एस०ड० नई, दिल्ली से सम्पदता हेतु अनापत्ति प्रयाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर कहना है कि कृष्णा सुदूरानि तेज्ज्वल मूर्ख, उस दाशगद्वल सीधी रसतोवेरमो, बोकारो को इस शार्त पर कि तीन वर्षों के अन्दर इस विधालय में एक भी ऐसा शिक्षक नहीं रहे जिन्हे बीठडो की उपाधि प्राप्त नहीं हो, सीधी रसतोई, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापति प्रयाण-नपत्र निर्गत छरने की स्वीकृति प्रदान छ की है।

उपर्युक्त शार्टर्स के अतिरिक्त विभागीय नियमाधिकारी शापांफ-  
1055 दिनांक 5. 9. 2001 में निर्दिष्ट निम्नांकित शार्टर्स एवं बनेयों का अनुग्रहालभ छहमध्ये  
करना होगा । :-

शार्तसंबन्धेज

- विधातय की बार्षिक खपत आय 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो तो कि वह प्रमाणित हो सके कि विधालय लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्थापित नहीं छिपा गया है । युल आय का 10 प्रतिशत जो खपत होगी उसका उपयोग भी विधालय के विकास में किया जायेगा । विधालय में कार्यरत सभी कर्मियों को क्रम से कम राज्य सरलाहर में कार्यरत समक्ष कर्मियों को देय खेतन रख भत्ते के बराबर मंगतान करना होगा ।

२. विधानय को किसी प्रकार का अनदान गहरी दिया जाएगा।


3. विधालय को शहरी क्षेत्र में 2 एकड़ संघ ग्रामीण क्षेत्र में 4 एकड़ भूमि विधालय के नाम से निर्बंधित या क्षेत्र से लग 30 वर्ष के निर्बंधित पट्टा/लीप पर दोना जाड़िए। यदि भविष्य में जांचोपरान्त मिन्न त्यक्ति पाई जायेगी तो अनागति प्रमाण-पत्र बापस लेने का आधिकार तरकार को सुरक्षित रहेगा।

- पाहिये ।

5. नामांकन हेतु किसी प्रधार का डीमेट्रियल प्रैप्रिटेशन फीस नहीं लिया जाएगा।

6. गरीबी ऐहा के नीचे के छात्र/छात्राओं में 10 प्रतिशत स्थान नामांकन के लिये सुरक्षित होगा जाय दी जाएगी जिससे 50 प्रतिशत शालमारी की जाएगी।

पिधालय जा लार्थ-न्याया-प्राप्ति के द्वितीय दोग्रा-यात्रिये

  
Principal  
Kishan Sudarshan Central School, CCL  
Khas Mahal, Sunday Bazar, Berma  
(District - Dibrugarh)

पत्रांक 910

p-5

प्रेषक,

तेलवा में,

विषय:-

प्रसंग:-

महाशय,

जिला शिक्षा पदाधिकारी,  
बोकारो।उप निदेशक मार्गिता  
धारण्ड, राँची।

बोकारो, दिनांक-

कृष्णपा सुकर्णन सेण्ट्रल स्कूल, खासमहल, सी०सी०स्ल०, बेरमो का  
सी०बी०स्त०ई० से १०५२ तक का सम्बन्ध देते अनापत्ति  
प्रमाप पत्र के संबंध में।

मध्यवर्तीय पत्रांक 2903 दिनांक 24.5.02

उपर्युक्त विषयक, प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कृष्णपा सुकर्णन  
सेण्ट्रल स्कूल, खासमहल, सी०सी०स्ल०, बेरमो का सी०बी०स्त०ई० से ₹४५२२ १०५२  
तक का सम्बन्ध देते अनापत्ति प्रमाप पत्र निर्गत करने देते विभागीय पत्रांक 1668  
दिनांक ५.१२.२००१ के आलोक में दिनांक 25.९.०३ को स्थलीय निरीधप कर जाए  
प्रतिवेदन घिर्हित प्रपत्र में तैयार कर छत्ते साथ संलग्न कर आंशक्यक कार्यालय देते हेजी  
जा रही हैं। इस विधालय को अनापत्ति प्रमाप पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की जाती  
है।

अनुं०:- यथोच्चत !

विश्वासभाजन,

८०/-

जिला शिक्षा पदाधिकारी,

बोकारो।

पत्रांक 910 / बोकारो, दिनांक - ३०.९.०३

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, कृष्णपा सुकर्णन सेण्ट्रल स्कूल, खासमहल, सी०सी०स्ल०, बेरमो  
को तृपत्तार्थ प्रेषित।

20/09/2024  
Krishna Sudarshan Central School, CCI  
Principal  
Khas Mahal, Sunday Bazar, Berma  
Distt.- Bolangir (Jharkhand)

विधालयमें राष्ट्रीय प्राप्ति नियोजन विभाग द्वारा तथा राज्य के सामुदायिक मालयों  
विभाग द्वारा नियोजित विभाग द्वारा अनुसरन, शासकीय एवं विधालय विभाग हेतु  
जानकारी प्राप्ति द्वारा होगा ।

8. विधालय में जात्रों की सुचित संख्या एवं उसके अनुमान में विधालय  
द्वारा प्राप्ति ।

9. विधालय में नामांकन प्रक्रिया, नियोजित विधालय विभाग द्वारा तथा समय-समय पर राज्य सरकार समीक्षोपरान्ता  
संशोधन कर सकेगी ।

10. विधालय संघालन हेतु गविनि नियमावली के आधार पर गठित  
निकाय के सदस्यों की जार्यावाहि पूर्ण होने पर नेप सदस्यों की सूची जिला  
विधालय प्रबाधिकारी कार्यालय में जमा दरना होगा ।

11. राज्य/लेन्ड तरकार द्वारा प्राप्ति विभिन्न प्रकार के  
एफ्सेन्स प्रोग्राम तथा एन०सी०सी०, एन०स०स० फाउट एवं गाईड आदि को  
सुधार रूप से करना होगा ।

12. पदि कोइ संस्था पूर्व से जिली बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हो तो  
विभागीय परियन्त्र संख्या-1055 दिनांक 5-9-2001 के अनुसार शार्टर्ट का पालन  
दरना होगा अन्यथा अनापति प्रमाण-पत्र दाता ने का सर्वाधिकार राज्य  
सरकार में मुरक्कित होगा ।

13. उपर्युक्त शार्ट का बनेहों का अनुपालन न करने की स्थिति में  
राज्य सरकार जो अनापति प्रमाण-पत्र द्वारा दरने जा गिलार होगा ।

14. अनापति प्रमाण-पत्र के लिये विधालय द्वारा तर्गीत छागजातों  
एवं अभिभेदी को जाली अधिकारी वास्तविक स्थिति से भिन्न पाया जाय पा  
विधालय द्वारा राष्ट्रीय राष्ट्रीय विभाग के विस्त किया जा रहा हो या भेब्ह ऐसा  
कार्य जिसे लाभाविक घटूता लैता हो तो तरकार निर्णय अनापति प्रमाण-पत्र  
को दापत ने सकती है ।

15. विधालय द्वारा उपर्युक्त शार्ट एवं बनेहों जो अनुपालन छिपा  
रहा है अथवा नहीं इसकी जाँच ताम्य-समय पर गानव संतापन विभाग विभाग  
द्वारा द्वारा नहीं इसकी जाँच ताम्य-समय पर गानव संतापन विधालय  
संथा के वित्तीय संदर्भ अकादमीय अनियामिताओं की जाँच द्वारा सकेगी और  
जाँचोपरान्त अनुवर्ती फारवाई दर सकेगी ।

16. एतद विषयक जिली प्रकार के न्यायिक मामलों का निपटारा  
माननीय द्वारा उच्च न्यायालय, राजी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा ।

17. ताम्य-समय पर लोकान्वय तरकार द्वारा विधालय सम्बद्धन संविधि  
जो निर्णय लिये जायें उसका अनुपालन दरना अनिवार्य होगा अन्यथा शार्ट का  
उलंघन मानते हुए अनापति प्रमाण-पत्र दाता ने के साथ-साथ अन्य कानूनी  
कार्रवाई भी की जा सकेगी ।

विधालय  
निदेशालय मानविक विधालय  
द्वारा, राजी ।  
२०/१०/२०३०

VST  
20/10/2030  
Principal  
Krishna Sudarshan Central School, CCL  
Khas Mahal, Sunday Bazar, Berhampur

हायांक 1617

-3-

रांची, दिनांक - 12.7.04  
प्रतिलिपि, खेतीय उप शिक्षा निदेशक, उजारीवाग/बिला शिक्षा  
पदाधिकारी, दोकारो एवं तंचिया पिधालय के ग्रन्थालयापाल को सूचनार्थ प्रेषित

Shri. K. L. Ch.  
निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
शारखंड, रांची ।

हायांक 1617

रांची, दिनांक - 12.7.04  
प्रतिलिपि, आननीय मंत्री डे. जापा. सचिव/सचिव, मानव संसाधन विकास विभ.  
विभाग, शारखंड, रांची थो सूचनार्थ एवं आपराधिक कार्यार्थ प्रेषित

Shri. K. L. Ch.  
निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
शारखंड, रांची ।  
13/7/04

✓  
20/07/2004  
Principal  
Krishna Sudarshan Central School, CCL  
Khas Mahal, Sunday Bazar, Berma  
Distt. Bokaro (Jharkhand)